





|    |  |  |   |
|----|--|--|---|
| ७  | देवस्थान इनाम जमिनी  |  | निरंक   |
| ८  | आदिवासी खातेदारांच्या जमिनी, महाराष्ट्र जमिन महसूल अधिनियम १९६६ च्या कलम ३६अ व ३६ प्रमाणे  |  | अ.क्र. ३ व ६ मधील सध्दे ऋ वाचुन उर्वरीत सर्व हे आदिवासी खातेदारांचे आहेत. |
| ९  | महाराष्ट्र पुनर्वसन अधिनियम १९९९ च्या कलम १६ अन्वये प्रदान केलेल्या जमिनी  |  | निरंक   |
| १० | जमिनी  |  | निरंक   |
| ११ | पुढान व श्रावदान अंतर्गत दिलेल्या जमिनी  |  | निरंक   |
| १२ | महाराष्ट्र खाजगी वने (संपादन) अधिनियम १९७५ तसेच महाराष्ट्र शेत जमिन (जमीन धारणेची कमाल मर्यादा) १९६१ अन्वये चौकशीसाठी प्रतीबत असलेल्या जमिनी   |  | निरंक   |
| १३ | भूमीधारी हक्काच्या प्राप्त झालेल्या जमिनी  |  | निरंक   |
| १४ | महाराष्ट्र शेत जमिन (जमीन धारणेची कमाल मर्यादा) अधिनियम १९६१ अंतर्गत कमाल मर्यादेपेक्षा अधिक धारण करण्यात सूट दिलेल्या जमिनी कलम ४७  |  | निरंक   |
| १५ | मुंबई कळ वहिवाट व शेतजमिन अधिनियम १९४८ अंतर्गत खऱ्याखुऱ्या औद्योगिक प्रयोजनास कलम ६३(१) अ अन्वये खरेदी केलेल्या जमिनीचा १५ वर्षांत खऱ्याखुऱ्या औद्योगिक वापर सुरू व केलेल्या जमिनीचा तपशिल                     |  | निरंक   |
| १६ | मुंबई कळ वहिवाट व शेत जमिन अधिनियम १९४८ अंतर्गत खऱ्याखुऱ्या औद्योगिक प्रयोजनास कलम ६३(१)(अ) अन्वये खरेदी केलेल्या भोगवटादार वर्ग २चा जमिनीचा ५ वर्षांत खऱ्याखुऱ्या औद्योगिक वापर सुरू व केलेल्या जमिनीचा तपशिल |  | निरंक   |

|    |  |  |       |
|----|--|--|-------|
| १७ | भूमि संपादन अधिनियम १८९४ अंतर्गत<br>जमिन संपादीत करून संपादन संस्थेकड<br>यापराविना शिल्लक राहिल्या जमिनीचा<br>तपशिल  |  | निरंक |
| १८ | विशेष वतन/इनाम कायद्यामध्चे निर्दूलन<br>रद्द झाल्यामुळे जमिनी खालसा होऊन<br>सरकार जमा झालेली न्यायी मुदलीत मुळ<br>मालकास पुर्नदातल (रिग्रेड) न झालेल्या<br>जमिनीचा तपशिल                           |  | निरंक |
| १९ | महाराष्ट्र जमिन महसूल अधिनियम १९६६<br>अंतर्गत करम २२० अन्वये   |  | निरंक |
| २० | विशेष वतन/इनाम कायद्याखाली शर्तभंग<br>होऊन सरकार जमा झालेल्या जमिनीचा<br>तपशिल   |  | निरंक |
| २१ | महाराष्ट्र जमिन महसूल अधिनियम १९६६<br>चे करम २० जिल्हाधिकारी यांना घोषित<br>केलेल्या जमिनीचा तपशिल उदा. शार्यजनिक<br>रस्ता, उपवन, समुद्राचे पात्र, बंदरे,<br>नाले, ओढे, कालवे, जलमार्ग यांचा तपशिल |  | निरंक |
| २२ | भोगवटादार वर्ग २ म्हणून जिल्हाधिकारी<br>यांनी प्रदान केलेले इनामत भुखंड (व सत्ता<br>प्रकार) जमिनीचा तपशिल  |  | निरंक |
| २३ | खंडकरी यांनी धारण केलेल्या तथापि<br>घाटप होऊन १० वर्ष पूर्ण न झालेल्या<br>जमिनीचा तपशिल  |  | निरंक |

तलाठी  
ना. अक्राणी जि. नंदुरबार

महसूल कार्यालयकारी  
मंडळ भाग खुंटामोडी  
ना. अक्राणी जि. नंदुरबार

१५५  
महसूलदार अक्राणी